

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-गुप-2) विभाग

क्रमांक प. 13 (20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट


जयपुर, दिनांक 20.7.2022

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.2.2020 के द्वारा राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 8 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के लिए 10 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्धारित किया गया है। उक्त परिपत्र में दर्शाये गये 100 बिन्दुओं में अनुसूचित जाति का अभ्यांश पूर्ण करने हेतु बिन्दु 94 को अनुसूचित जाति के लिए चिन्हित किया जाता है।


अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/नियुक्त प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


19/7/22
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर।
6. उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष।


(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव